न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 56/2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 रामलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र हणमानाराम।
2 धर्मपाल उम्र 44 वर्ष पुत्र नाथू।
3 शीशराम उम्र 42 वर्ष पुत्र नाथू समस्त जाति जाट निवासीगण माजी साहब की ढ़ाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुरेश कुमार उम्र 32 वर्ष पुत्र हमीरसिंह।
2 सुभाषचन्द्र उम्र 28 वर्ष पुत्र हमीरसिंह।
3 हमीरसिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र मानाराम।
4 मनोहरी उम्र 52 वर्ष पत्नी हमीरसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण माजी साहब की ढ़ाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
5 पटवार हल्का गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
6 गिरदावर गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
7 नायब तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।
8 तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व निर्णय/आदेश दिनांक 27.06.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री महिपाल सिंह आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 32/2019 बउनवानी रामलाल आदि बनाम सुरेश कुमार आदि आवेदन अ. धारा 212 आरटीएक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 17.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने ग्राम माजी साहब की ढ़ाणी तहसील खण्डेला की भूमि खसरा नम्बर 77,78 के दक्षिणी सींव डोल को नष्ट नही करने एवं हरे पेड़ो को नही उखाडने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई स्थगन खारिज कर दिया है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अपीलांट की भूमियों की दिशा में रेस्पोडेंट की भूमियां है दक्षिणी सींव पर गत 50 वर्ष से पुख्ता सींव डोल व बड़े बड़े वृक्ष अवस्थित है। रेस्पोडेंट ने अनाधिकृत कब्जे की नियत से पत्थरगढ़ी का आदेश करवा लिया एवं जैसीबी लेकर मौके पर आ गये इनको रोकने हेतु स्थगन का आवेदन पेश किया था। विचारण न्यायालय ने अन्तरिम स्थगन जारी भी किया था। इसके उपरान्त उभयपक्ष की मध्य मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर बहस सुनी गई थी। विचारण न्यायालय ने स्थगन पर उभयपक्ष को सुने बिना मौका कमिश्नर की बहस पर ही विचाराधीन आदेश से विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही स्थगन खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गुणावगुण पर कोई विचार नही किया है। भू–प्रबन्ध के दौरान नक्शे में परिवर्तन कर रेस्पोडेंट की सीमा अपीलांट की भूमि में बढ़ा दी है। इसके आधार पर अपीलांट की भूमि पर कब्जे के उदेश्य से पत्थरगढ़ी का आदेश करवाया गया था। पत्थरगढ़ी आदेश के विरूद्व प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। इसके विचाराधीन रहते विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नही किया है। विद्वान अधिवक्ता ने वरवक्त बहस आदेश 41 नियम 27 के आवेदन के साथ तहसीलदार खण्डेला की जांच रिपोर्ट दिनांक 08.11.2019 की प्रति प्रस्तुत कर रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2016–17 (SUpp.) पेज 167, आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 374 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने धारा 188 का दावा किया था एवं धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया था। अपीलांट की बहस में कथित तथ्य दावें एवं टी.आई. आवेदन में अंकित नही है। अपील के स्तर पर नवीन तथ्य प्रकट नही किये जा सकते है। अपीलांट अपनी प्लेडिंग से बाहर नही जा सकता है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनवाई निर्णय पारित किया है। भू–प्रबन्ध विभाग का गत एवं हाल नक्शा समान है। विचारण न्यायालय ने विधिवत रूप से सुनवाई के उपरान्त विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.05.2019 को अपीलांट को एक पक्षीय सुनकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 77,78 के सन्दर्भ में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है एवं इसी तिथि को विवादित भूमि की मौका कमिश्नर रिपोर्ट हेतु आदेश पारित किये है। दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

19.06.2019 को मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुई है दिनांक 25.06.2019 को मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई है। दिनांक 27.06.2019 को विचारण न्यायालय ने विस्तृत निर्णय पारित किया है। इसमें मौका कमिश्नर रिपोर्ट में पाया गया है कि मौका स्थल पर पेड़ आदि खड़े है लेकिन किसी तरह के सीमा चिन्ह नही है, न ही किसी तरह की वास्तविक सीमा/पत्थरगढ़ी की हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्थरगढ़ी आदेश की पालना हेतु स्थगन आदेश को विचाराधीन आदेश से खारिज किया है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है अत इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर